न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

निगरानी-5499/2018/रीवा/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 30.08.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1096/अपील/15-16

रामगोपाल तनय स्व. बैजनाथ उम्र 54 वर्ष
पेशा खेती एवं मजदूरी निवासी ग्राम बोदा बाग रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) ....**आवेदक**

विरुद्ध

1. रामशरण तनय राधिका प्रसाद उम्र 90 वर्ष
   निवासी ग्राम बोदा बाग रीवा
   तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
2. रामबाई बेवा पत्नी रामप्रताप पेशा गृहकार्य
3. नीरज पाठक तनय चिन्तामणि पाठक
4. चिन्तामणि पाठक तनय रामप्रताप पाठक
   क्र. 2 ता 4 निवासी ग्राम अमहिया, तह. हुजूर
   जिला रीवा (म.प्र.) ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आई.पी. द्विवेदी
अनावेदक क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
अनावेदक क्र. 2 से 4 एकपक्षीय हैं।

आदेश

(आज दिनांक....29.6.19.........को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक

1096/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेक क्र. 1 द्वारा तहसीलदार हुजूर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण कराये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29.09.2010 द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 20.05.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 30.08.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश खारिज किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस प्रकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रारम्भ से ही प्रस्तुत दस्तावेजो को एवं लिखित तर्क का कोई अवलोकन नहीं किया गया और न ही अपने प्रश्नाधीन आदेश में दस्तावेजों का या लिखित तर्क का कोई निष्कर्ष ही दिया है मात्र सरसी तौर पर देखते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपने आदेश में माननीय जिला न्यायाधीश रीवा के प्रकरण क्रमांक 57-ए/2006 आदेश दिनांक 22-02-2007 की व्याख्या की है वह बिल्कुल गलत है । क्योंकि जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अनावेदक रामशरण की नियमित अपील आंशिक रूप से कब्जा स्थिर रखने की डिक्री प्रदान की है तथा उक्त प्रकरण में रामगोपाल निगरानीकर्ता

पक्षकार नहीं है। तथा उसी निर्णय में स्वत्व के बावत न्यायालय श्रीमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रीवा का निर्णय दिनांक 10-02-2006 स्थिर रखा है जबकि यह विधि का सिद्धांत है कि कब्जा के आधार पर न तो कोई स्वत्व प्राप्त होता है और न ही कब्जा के आधार पर नामांतरण ही हो सकता है । ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय यह मान लिया कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश द्वारा रामशरण को भूमिस्वामी होने की डिक्री दे दी गई हो, जबकि ऐसी डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है । जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है ।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि न्यायालय को यह देखना भी आवश्यक है कि रामशरण द्वारा एक जाली व फर्जी प्रदर्श डी. 2 का दस्तावेज जो दिनांक 03-08-1959 का होना कहा जा रहा है जिसमें तारीख में कांट-छांट की गई है, व उसके 25 दिन बाद दूसरी एक फर्जी टीप दिनांक 28-08-1959 को 100/- रूपये की बनाई गई है उसमें गवाह हरिहर प्रसाद व दूसरा गवाह के कालम दोनो फर्जी दस्तावेजो में खाली है यानि कि हस्ताक्षर किसी के नहीं है । जिससे भी प्रमाणित होता है कि कोई अन्य व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुए होगें । तथा यह देखना भी आवश्यक है कि उक्त फर्जी दस्तावेज का विधि अनुसार रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जैसा कि रीवा राज्य कानून रजिस्ट्री की धारा 1 में उल्लेख है कि 25/- रूपये के दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, जो रीवा रजिस्ट्रीकरण सन 1917 से प्रभावशील था। ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाये।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह देखना भी आवश्यक है कि रामशरण द्वारा इसी भूमि नं. एवं इसी रकबे के बावत अन्य वयक्ति को पक्षकार बनाकर प्रकरण दायर किया था लेकिन उन प्रकरणों में भी रामशरण को सफलता नहीं मिली है तथा न्यायालयों द्वारा यही कहा गया कि जितना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में 0.53ए. क्रय किया गया है उतने के ही अधिकारी रामशरण है तथा उतने भाग का ही नामांतरण रामशरण के हक में हुआ है । जैसा कि न्यायालय

कलेक्टर रीवा के जिला रीवा के राजस्व अपील क्रमांक 5/अ-6/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 28-05-1985 जो रामशरण के विरूद्ध की गई जिसकी अपील रामशरण द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 28-07-1986 को निरस्त कर दी गई। उस आदेश के विरूद्ध रामशरण द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की जो निगरानी दिनांक 15-01-1999 को निरस्त कर दी गई, जिसका दिनांक 15-01-1999 को राजस्व मण्डल में पुनराविलोकन लगाया गया जो पुनराविलोकन रामशरण का दिनांक 16-08-2005 को निरस्त कर दिया गया । इस तरह विभिन्न न्यायालयों से आदेश पारित होने के बाद रामशरण के द्वारा पुनः नये सिरे से प्रकरण दायर किया गया है इस तरह इस प्रकरण में रेसज्युडिकेटा सिद्धांत लागू होता है ।

4. अनावेदक क्र. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में आवेदक को अपील प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, क्योंकि आवेदक व उसे पूर्वजों का कभी आवेदित भूमि में स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं था। इसलिए आवश्यक पक्षकार नहीं है और ना ही विचारण न्यायालय में आवेदक पक्षकार था और ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की थी। जबकि विधि में प्रावधान है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार न रहने वाला व्यक्ति अपीलीय न्यायालय में अभिव्यक्त स्वीकृति से अपील संस्थित कर सकता है इस संदर्भ में उनके द्वारा कई न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक रामगोपाल न तो कुमरिया का वारिस है और न ही कुमरिया द्वारा कभी कोई भूमि की विक्री ही की थी, किंतु बिना हक व अधिकार के आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। उकत आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. अनावेदक क्र. 2 लगायत 4 एकपक्षीय हैं।

उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों का अवलोकन किया गया।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पंजीकृत दस्तावेज से क्रय किया गया था। वाद ग्रस्त भूमि क्र. 933/1 रकवा 0.26 ए में कब्जे की विवाद की स्थिति में अनावेदकगण द्वारा दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 27ए/06 निर्णय दिनांक 22.02.2007 में प्रकरण का निराकरण करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त स्थाई निषेधाज्ञा में अनावेदकगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जेदार माना गया। माननीय व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में विवेचना करते हुए विधि संगत आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा द्वितीय अपील जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, संपूर्ण विवेचना करने के पश्चात बोलता हुआ आदेश पारित करते हए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश् निरस्त किया है। अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 में निगरानीकर्ता को यह भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हितबद्ध पक्षकार खाता विभाजन हेतु पुन: सक्षम न्यायालय में आवेदन पेश कर सकता है। ऐसी दशा में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अभिलेख को देखने से यह भी सपष्ट है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं था जबकि राजस्व न्यायालय में आवेदक पक्षकार के रूप में रहा है। राजस्व न्यायालय के साथ-साथ आवेदक को सक्षम व्यवहार न्यायालय में भी पक्षकार बनने के लिए पहल करना थी, जो नही की गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि

के सम्यक अनुक्रम में माननीय सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 स्थिर रखा जाता है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर